प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 786/2003

याचिकाकर्ता : राम करण चौहान, आयु लगभग 56 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री रघुनाथ चौहान, निवासी - गाँव गोथनपुर, फंडुडीहारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पर्यावरण और नागरिक विकास विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

2) निदेशक, नगरीय प्रशासन और विकास, संचालनालय, रायपुर

3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा।

4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बागबाहरा, जिला महासमुंद।

5) अध्यक्ष, नगर पालिका अम्बिकापुर, जिला सरगुजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

प्रकरण क्रमांक – रिट याचिका क्र. 786/2003

20.9.2006

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के लिए श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।।
	:	राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के लिए श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता
	:	उत्तरवादी संख्या 3 और 5 के लिए श्री संजय के. अग्रवाल और श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्तागण।
	:	उत्तरवादी संख्या 4 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

पक्षकारों की सहमति से अंततः उनके तर्क श्रवण किये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश निम्नानुसार पारित किया :

<u>मौखिक आदेश</u>
(20.9.2006)

याचिकाकर्ता, जो नगर पालिका परिषद, अंबिकापुर, जिला– सरगुजा की स्थापना में सहायक राजस्व निरीक्षक के रूप में कार्यरत था, ने उसकी प्रतिनियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 6.2.2003 (अनुलग्नक पी–8) की वैधता को चुनौती दी है। उपरोक्त आदेश अनुलग्नक पी–8 द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं नगर पालिका परिषद अंबिकापुर से नगर पंचायत बागबाहरा में प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने यह आधार लिया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति का ऐसा आदेश पारित करने से पहले, न तो याचिकाकर्ता की सहमति प्राप्त की गई थी और न ही नगर पालिका परिषद अंबिकापुर (मूल विभाग या प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाला प्राधिकारी)

या नगर पंचायत, बागबहरा (प्रतिनियुक्ति पर लेने वाला प्राधिकारी) से कोई सहमति ली गई थी।

इस प्रकरण में नगर पंचायत, बागबाहरा (उत्तरवादी संख्या 4) का जवाब दाखिल किया गया है। जवाब की कंडिका 4 में, यह बहुत विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त नगर पंचायत से कोई पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। जहाँ तक अन्य उत्तरवादीगण का संबंध है, उनकी ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं छ. ग. नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें नियम) 1968 के उपबंधों द्वारा शासित होती हैं और उक्त नियमों में प्रतिनियुक्ति आदि का कोई उपबंध नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता के साथ–साथ अन्य कर्मचारियों के प्रकरण भी इस संबंध में सामान्य सिद्धांतों द्वारा शासित होंगे क्योंकि प्रतिनियुक्ति भी सेवा का एक भाग है। उन्होंने प्रतिनियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दो निर्णयों का उल्लेख किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पंजाब राज्य और अन्य बनाम इंदर सिंह और अन्य, 1997 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3949 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "प्रतिनियुक्ति" की अवधारणा सेवा विधि में सुस्थापित है और इसका एक मान्यता प्राप्त अर्थ है। 'प्रतिनियुक्ति' का सेवा कानून में एक अलग अर्थ है और 'प्रतिनियुक्ति' शब्द का शब्दकोश अर्थ सहायक नहीं है। सरल शब्दों में 'प्रतिनियुक्ति' का अर्थ है संवर्ग के बाहर या मूल विभाग के बाहर सेवा प्रदान करना। प्रतिनियुक्ति एक कर्मचारी को उसके संवर्ग के बाहर एक पद पर, अर्थात अस्थायी आधार पर दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्त या

स्थानांतरित करना है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारी को उसी पद पर रहने के लिए अपने मूल विभाग में वापस आना पड़ता है, जब तक कि इस बीच उसने भर्ती नियमों के अनुसार अपने मूल विभाग में पदोन्नति प्राप्त नहीं कर ली हो। स्थानांतरण पदस्थापना के सामान्य क्षेत्र से बाहर है या नहीं, यह उस प्राधिकारी द्वारा तय किया जाता है जो उस सेवा या पद को नियंत्रित करता है जिससे कर्मचारी को स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह से प्रतिनियुक्त व्यक्ति की सहमति के बिना कोई प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती है और इसलिए इसलिए उसे प्रतिनियुक्ति पद पर अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों की जानकारी होगी।

उमापति चौधरी बनाम बिहार राज्य और अन्य{ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1948} के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिर से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिनियुक्ति को एक विभाग या संवर्ग या यहां तक कि एक संगठन (जिसे आमतौर पर मूल विभाग या प्रतिनियुक्तिप्रदाता है) के एक कर्मचारी (जिसे सामान्यतः प्रतिनियुक्त कहा जाता है) को दूसरे विभाग या संवर्ग या संगठन (जिसे सामान्यतः प्रतिनियुक्तिप्राप्तकर्ता अधिकारी कहा जाता है) में सौंपने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लोक सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोक हित में प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सहमति पर आधारित है और इसमें नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की सेवाएं उधार देने का स्वैच्छिक निर्णय और उधार लेने वाले नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवाओं की तद्नुरूप स्वीकृति सम्मिलित है। इसमें प्रतिनियुक्ति पर जाने या न जाने के लिए कर्मचारी की सहमति भी सम्मिलित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त निर्णयों को देखने के बाद, स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति का आदेश पारित करने से पहले 3 शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात :–

i. अपने कर्मचारी की सेवा देने के लिए मूल विभाग का स्वैच्छिक निर्णय होना चाहिए;

ii. कि सेवा लेने वाले नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवाओं की तद्नुरूप स्वीकृति होनी चाहिए; और

iii. इस प्रकार प्रतिनियुक्त उक्त कर्मचारी की सहमति के बिना उक्त कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त के अलावा, अन्य परिस्थितियाँ भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता के रूप में हैं, अर्थात लोक सेवाओं की आवश्यकतायें और वह समय अवधि, जिसके लिए एक कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है।

वर्तमान प्रकरण में, राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं किया गया है और आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश के साथ-साथ याचिका में दिए अभिवचनों के अवलोकन से दर्शित होता है कि अनुलग्नक पी-8 में निहित प्रतिनियुक्ति के आदेश को पारित करने से पहले याचिकाकर्ता से कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में नगर पंचायत, बागबाहरा की सहमति प्राप्त नहीं की गई है और याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति की अवधि के संबंध में सरकार द्वारा कोई समय आदि निर्धारित नहीं किया गया है। इस न्यायालय के अभिमत में, आक्षेपित आदेश किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है और इसे विधिक दृष्टि में पोषणीय नहीं रखा जा सकता है।

उपर्युक्त कथित कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता की नगर परिषद, अंबिकापुर से नगर पंचायत, बागबहरा में प्रतिनियुक्ति के संबंध में आक्षेपित आदेश दिनांक 6.2.2003 (अनुलग्नक पी-8) एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सुनीता

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur